

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1777 / 2023

दिनांक : 06.06.2023


श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 27.01.2023 से 29.01.2023 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 30.01.2023 से 01.02.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश।

श्री कौशिक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, नागौर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 05-06-2023

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/48/1996/3748

दिनांक 06.06.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर को उनके पत्रांक 71 दिनांक 29.04.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, नागौर।


सहायक रजिस्ट्रार